न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 41/2019

1–सरोज रूहेला पत्नी हीरालाल जाति जाट निवासी नावां तहसील नावां जिला नागौर, राज0।

..............अपीलान्ट

बनाम

1.–तहसीलदार नावा, तहसील नावां जिला नागौर

2– पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से ।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण अधीन धारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91(3) बअनुवान सरकार बनाम सरोज रूहेला , मु0सं0 31/19 निर्णय दिनांक : 05.07.2019 को निरस्त करने बाबत।

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक :10.02.2021

{1} –मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार नांवा द्वारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 31/2019 सरकार बनाम सरोज रूहेला में निर्णय दिनांक 05.07.2019के तहत मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नं0 01 रकबा 01.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील भूमि पर नमक क्यार बनाकर अतिक्रमण करने व पूर्व में भी सम्वत 2074 में अतिक्रमण करने पर अप्रार्थीया के खिलाफ भौतिक रूप से बेदखली व शास्ति तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी होने से अप्रार्थीया के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत अप्रार्थीया को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

दण्डित किया गया तथा भौतिक रूप से बेदखली व लगान दर का 50 गुणा से 200/- रू0 अक्षरे दो सौ रूपये की शास्ती आरोपित की गयी। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय 05.07.2019 की फोटोप्रति, अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 31/2019 सरकार बनाम सरोज रूहेला के फर्द अहकाम दिनांक 17.06.2019 से 05.07.2019 की फोटोप्रति,पटवारी हल्का नावां की रिपोर्ट व बयान की फोटोप्रति, फर्द बेदखली दिनांक 26.02.2019 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति पेश की गयी।

उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर दिनांक 10.07.2019 को अप्रार्थीयां द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.07.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड दिनांक 24.07.2019 को प्राप्त हुआ, शामिल मिसल किया गया।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(2) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने मे विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(3) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने के अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(4) – यह है कि तहसीलदार नावां द्वारा पूर्णरूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलार्थीया द्वारा जिस भूमि पर पटवारी हल्का अतिक्रमण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

मानकर रिपोर्ट पेश की गई है। एवं जिस पर तहसीलदार नावां द्वारा जुर्माना व बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

{2}(5) – यह है कि मौजा ग्राम बावली पटवार हल्का खारड़िया की सरहद में प्रार्थीया की कब्जे सुदा खातेदारी नमक उत्पादन हेतु रूपान्तरित भूमि खसरा नम्बर 85 रकबा 2.3320 हैक्टर स्थित है। जिसमें प्रार्थीया ने नमक उत्पादन हेतु क्यारिया कन्टासर बना रखें है।

{2}(6) – यह है कि प्रार्थीया ने उक्त भूमि अन्य व्यक्ति के क्रय की थी क्रय करने के समय भूमि की सींव नींव जहां कायम थी उसी भूमि में प्रार्थी द्वारा नमक उत्पादन क्यार बनाया गया है। प्रार्थीया को अपनी भूमि का नाप चौक करवाने की कभी आवश्यकता नहीं हुई है।

{2}(7) – यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थीया को 1.00 हैक्टर भूमि के उपर अतिक्रमण करने का नोटिस जारी दिया गया है। जबकि प्रार्थीया की भूमि का नाप चौक आज दिन तक नही हुआ है प्रार्थीया अपनी उक्त खातेदारी शुदा नमक उत्पादन हेतु रूपान्तरित भूमि का नाप चौक कराने के लिये तैयार है।

{2}(8) –यह है कि प्रार्थीया की खातेदारी शुदा भूमि का नाप चौप कर प्रार्थीया की सींव नींव कायम करने के लिये सम्बन्धित हल्का पटवारी को आदेश प्रदान करावें।

{2}(9) –यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी के बयानो के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट का किसी प्रकार की जिरह का मौका नही दिया गया है, ना ही सुनवाई का कोई मौका दिया गया है एवं पटवारी द्वारा बिना नाप के गलत रिपोर्ट दी गई है। उक्त भूमि अपीलान्ट की स्वामित्व सुदा भूमि है।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का नांवा व भू0अ0निरीक्षक नावां की रिपोर्ट, अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम साभंर झील, नावां के खसरा नम्बर 1 रकबा 01.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार, बनाकर अतिक्रमण किया है, तथा पूर्व मे भी सम्वत 2074 से अतिक्रमण करना पत्रावली संख्या 17/18 रिकार्ड पर उपलब्ध होने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

से साबित है कि अप्रार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद सूचना के अनुपस्थित होना अभिलेख से साबित होता है। नोटिस आबाद मकान पर चस्पादंगी से तामिल हुआ है, अधिवक्ता श्र जे0पी0 नेहरा ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी ने 30.07.19 की पटवारी हल्का नावां की मौका बेदखली फर्द रिपोर्ट भी पेश की है, जिसके अनुसार मौके पर से अतिक्रमित रकबा से अतिक्रमी ने स्वयं कब्जा हटा लिया जाना अंकित किया है, जिससे हस्तगत सिवायचक भूमि को उसके द्वारा कब्जे राज भी ले लिया गया है। जिसमें 3 माह का सिविल कारावास भी दिया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट ने स्वयं राजकीय भूमि से स्वतः कब्जा हटा लिया जाने से सहानुभूतिपर्वक 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित होने से अधिनस्थ न्यायालय का फैसला बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाना उचित है।

:::: आ दे श ::::

अपीलान्ट की अपील पर सहानुभुति पूर्वक विचार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2019 में दी गयी 3 माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त करते हुवे अधिनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह [illegible])
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह [illegible])
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)